<u>न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर</u> जिला –बालाघाट, (म.प्र.)

आपराधिक प्रकरण क. 821 / 2014 संस्थित दिनांक—10.09.2014

सास्थत दिनाक—10.09.20 मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—मलाजखंड जिला—बालाघाट (म0प्र0) — — — — — — <u>अभियोजन</u> // विक्तद्ध // जगदीश पटले पिता सुखराम, उम्र 38 वर्ष, जाति पंवार, निवासी—ग्राम बखारीकोना, थाना बिरसा जिला बालाघाट — — — — — <u>आरोपी</u>

निर्णय

(आज दिनांक 10/09/2014 को घोषित)

निष्कर्ष

अभियुक्त के विरूध्द आरोपित अपराध हेतु पूर्व दोषसिध्दि का प्रमाण नहीं है। अभियुक्त की स्वेच्छया एवं स्पष्ट अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर उसे धारा—279, 337 भा.दं.सं. एवं धारा 146/196 मोटर यान अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध ठहराया जाता है। प्रकरण की परिस्थितियों में अभियुक्त को परीवीक्षा प्रावधान का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं।

दण्डादेश या अन्य अंतिम आदेश

दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया। अपराध की प्रकृति, प्रकरण की परिस्थितियों में अभियुक्त को प्रमाणित अपराध के आरोपों में दोषसिध्दि कर भा.दं.सं. की धारा—279 में 1,000/—रू., धारा—337 में 500/—रू., मो.व्ही.एक्ट की धारा 146/196 में 1,000/— कुल 2,500/—रू. (दो हजार पांच सौ रूपये) के अर्थदण्ड से दिण्डित किया जाता हैं। अर्थदंड अदायगी में व्यतिक्रम पर अभियुक्त को 15—15 दिन का साधारण कारावास भुगताया जावे।

जप्तशुदा वाहन हीरो होण्डा सी.डी.डिलक्स क्रमांक—एम.पी.50 / एम.एफ.1016 को उसके रजिस्टर्ड स्वामी सुपुर्ददार जगदीश पटले पिता सुखराम पटले को सुपुर्दनामा पर प्रदान किया गया है, जो उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे।

बैहर दिनांक—10 / 09 / 2014 (सिराज अली) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, जिला–बालाघाट ELIMINI PARETA SUNTY PARETA SUN

ATTARTA PARETA STATE A STATE A